न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प–धुरासनी

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 20/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 आदूराम पुत्र केनाराम, जाति मेघवाल नि0 पोटलिया, तह0 सोजत जिला पाली।		1 सम्पतराम 2 पुखराज 3 हेमराज 4 गोविन्दराज पि0 सोहनराज 5 सायरी बेवा सोहनराज जातिगण राव नि0 पोटलिया तह0 सोजत जिला पाली । 6 तहसीलदार, (भूमिधारक)सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सोनदान अधि0 अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :–02.11.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पोटलिया, प0ह0 लाणेरा तहसील सोजत सरकारी खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 151 रकबा 2.5700 है0 किस्म गै0मु0 बाला की कृषि जोत मे से नया मार्ग प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 172, 173 कुल किता 02 रकबा 2.10 है0 किस्म बा0 दो0 कृषि जोत तक जाने हेतु आशय रखते है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि जोत की कृषि भूमि खसरा संख्या 151 रकबा 2.5700 हैक्टर किस्म गै0मु0बाला व ख0न0 171 रकबा 1.43 है0 किस्म बा0दो0 ग्राम पोटलीया के खसरा नंबर 151 के पूर्वी दिशा में स्थित आम रास्ते से खसरा नंबर 151 की दक्षिणी दिशा के सडा के सहारे सहारे होते आगे खसरा नंबर 171 रकबा 1.4300 है0 बा0दो0 की उतरी दिशा के सड़ा में से होकर प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 172, 173 तक आवागमन हेतु 12 फुट चौडा रास्ता दिलाये जाने व रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री सोनदान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हो। अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण ने दिनांक

17.03.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने पर हुई है जो प्रा0 पत्र प्रार्थी ने बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थी ने प्रार्थी के जोत कृषि भूमि में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 151 के पूर्वी दिशा में स्थित आम रास्ते से खसरा नंबर 151 की दक्षिणी दिशा के सडा के सहारे सहारे आगे खसरा नंबर 171 की उतरी दिशा के सडे में से होकर ग्राम पोटलिया तह0 सोजत की जोत में नया मार्ग प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 172 व 173 में जाने हेतु मांग की है, जो गलत है। प्रार्थी ने जिस आम रास्ते से नया मार्ग लेने हेतु मांग की है, उस आम रास्ते से गैरमुमकिन वाला निकलता है, जो गैरमुमकिन बाला आम रास्ता के पश्चित दिशा में खसरा नंबर 155, 151, 150 है, इसलिए अगर आम रास्ते से प्रार्थी गै0मु0रास्ता के खसरा नंवर 155, 151 की भूमि में से होकर आगे अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि में से होकर जाना चाहता है तो अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की काबिल काश्त भूमि कम हो जायेगी। अप्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 171 एक मात्र आजीविका का स्त्रोत है, जबकि प्रार्थी आम रास्ते से आगे गै0मु0 बाला की आगे जमीन खसरा नंबर 150 में से होकर आसानी से प्रार्थी की जोत भूमि में जा सकता है, तथा इस गै0मु0बाला की भूमि खसरा नंबर 150 की भूमि पर प्रार्थी का स्वयं का अवैध कब्जा है। इसलिए गै0मु0 बाला मे से सीधा प्रार्थी अपनी जोत भूमि खसरा नंबर 172, 173 में आ जा सकता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की कोई खातेदारी कृषि भूमि बीच में नही आती है। इसलिए प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान का प्रा0 पत्र बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यों पर पेश किया है, जो काबिले खारिज है। अगर प्रार्थी अपनी जोत कृषि भूमि में आने जाने हेतु आम रास्ते से सीधा आना जाना चाहता है तो खसरा नंबर 156, 157, 159, 160 में से होते हुए अपनी जोत भूमि में आने जाने हेतु मांग कर सकता है, जो प्रार्थी के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता है। क्योंकि प्रार्थी अपनी जोत भूमि में बरसात के मौसम में फसल बोयेगा, जिसकी खड़ाई बुवाई एवं अवेराई हेतु गैरमुमकिन बाला की भूमि में से होकर जायेगा तो वाला में सावणु फसल के समय बरसाती पानी की आवक रहेगी एवं बरसाती पानी के बहाव के कारण आने जाने में भी प्रार्थी को भारी परेशानी होगी एवं हर वर्ष बरसाती पानी से वाला की भूमि में कटाव वगैरा हो जायेंगे जिससे प्रार्थी गैरमुमकिन वाला की भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा और अगर प्रार्थी बरसात की मौसम में भी उक्त वाला की भूमि में से आ जा सकने में सक्षम है तो गैरमुमकिन वाला प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की जोत भूमि से भी आगे तक जाता है। जिसमें अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि में रास्ता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदार, सोजत से विवादग्रस्त/प्रार्थित रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में वरूवे मौका रूबरू उभय पक्ष अपेक्षित बिन्दुओं पर पत्रांक/2021/63 दिनांक 14.01.2021 द्वारा रिपोर्ट चाही गई कि आया निकटतम वर्तमान रास्ते की दूरी वैकल्पिक रास्ते की दूरी एवं आवेदित भूमि के सुविधाजनक उपयोग के लिए तो नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वस्तुस्थिति चाही गई। मौका फर्द मय नजरी नक्शा रूबरू मौतबिरान आदि के तैयार तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/4336 दिनांक 02.11.2021 प्रस्तुत की गई, सामिल पत्रावली की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि जोत की भूमि खसरा संख्या 151 रकबा 2.5700 हैक्टर किस्म गै0मु0बाला व ख0न0 171 रकबा 1.43 है0 किस्म बा0दो0 ग्राम पोटलीया के खसरा नंबर 151 के पूर्वी दिशा में स्थित आम रास्ते से खसरा नंबर 151 की दक्षिणी दिशा के सडा के सहारे सहारे होते आगे खसरा नंबर 171 की उतरी दिशा के सड़ा में से होकर प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 172, 173 तक आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता अर्थात् आवागमन हेतु दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी व भू0अ0निरी0 रूबरू मौतबिरान फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत मौका रिपोर्टानुसार बताया** कि सरहद मौजा पोटलिया की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 172, 173 रकबा क्रमशः 1.1600 है0, 0.9400 है0 वादी पतासी देवी पत्नि आदूराम 1/2, आदूराम पुत्र केनाराम 1/2, कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज है। वादी अपनी कृषि जोत तक मुख्य रेकर्डेड सड़क ख0न0 209 रकबा 0.17 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवाय चक से जाने हेतु ख0न0 151 रकबा 2.5700 है0 किस्म गै0मु0 वाला सिवाय चक दर्ज है, तथा खसरा नंबर 171 रकबा 1.4300 है0 वादी सम्पतराज, पुखराज, हेमराज, गोविन्दराज पि0 सोहनराज सायरी बेवा सोहनराज कौम राव सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज है। वादी द्वारा खसरा नंबर 151 गै0मु0बाला में से रास्ता चाहा गया है, जो जल बहाव में आने से गै0मु0 बाला प्रतिबन्धित भूमि में आता है। प्रस्तुत पत्र तहसीलदार, सोजत मय पटवारी हल्का धुरासनी एवं भू0निरीक्षक चौपड़ा की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 सा0मि0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षों को सुना प्रस्तुत प्रा0 पत्र व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया एवं बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा

सिवाय चक भूमि ख0न0 151 गै0मु0 बाला में से रास्ता चाहा है, जो जल बहाव में आने से गै0मु0 बाला प्रतिबंधित भूमि आता है, जो धारा 16 आर0टी0एक्ट0 1955 में प्रतिबंधित भूमि है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नही हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रावधानों के विपरित होने से पोषणीय नहीं है तथा क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा निहित आवश्यक प्रावधानों से परिपूर्ण नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने से तथा आवश्यक निहित प्रावधानों से परिपूर्ण नहीं होने से पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर– धुरासनी

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर– धुरासनी